Vol. 2 No 1

BIHAR LEGISLATIVE ASSEMBLY DEBATES

1945

1

OFFICIAL REPORT.

WEDNESDAY, THE 30 TH AUGUST, 1950.

SUPERINTENDENT, GOVERNMENT PRINTING
BIHAR, PATNA.

बिहार विधान सभा वादवृत्त

मंगलवार, तिथि १० अक्टूबर, १९५०

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकल विधान सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन रांची के सभा वेशम में मंगलवार, तिथि १० अक्टूबर, १९५० को ८-३० बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ।

अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर

Short Notice Questions and Answers.

LEASE OF SARANDA FOREST.

*15. **Shri NANDKISHORE NARAYAN LAL :** Will the hon'ble the Minister, incharge of Forest, be pleased to state—

(*a*) whether it is a fact that Saranda forest, one of the richest forests in India, has three ranges in it, namely Koina, Samata and Gua, first two under monopoly lease on long term basis with Shri Babu, H. I. Pathak and M/s. B. T. T. Co., Ltd., owned by M/s. Jardine Henderson, a firm of England , and the third Gua range settled by public auction in small lots annually;

(*b*) whether it is a fact that Babu H. I. Pathak and M/s. B. T. T. Co. pay royalty at the rate of Rs. 17 per unit of three (maximum) and the annual revenue of only five lacs is received from them for the two ranges leased to them;

(*c*) whether it is a fact that several other rebates and concessions are given to them at the above rate for long distance and hill-working ;

(*d*) whether Government have calculated that these two ranges if sold in small lots by auction each will fetch an annual revenue of 10 lacs of rupees;

(*e*) if the answer to clause (*d*) be in the affirmative, whether Government consider the desirability of revising their decision and also enlightening the House of their policy in this respect?

The Hon'ble Shri KRISHNA BALLABH SAHAY : (*a*) Yes, the Saranda forest has the three ranges in it named and the forest in two of them, viz.. Koina and Samta are worked on leases by Babu H. I. Pathak and Messrs. Bengal Timber Trading Co., Ltd., whose managing agents are Messrs. Jardine Henderson. The forests of Gua Felling Series were also being settled by leases until June 1946, when Government decided to change the system of sale of this Felling Series , as an experimental measure, to one of annual auction.

---

*माननीय सदस्य के अनुपस्थिति में श्री जगन्नाथ सिंह के निवेदन पर उत्तर दिया गया।

मानभूम जिले में बुनियादी तालीम।

*३२१। श्री टीकाराम मांझी—क्या माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि मानभूम जिले के जिन गांव में बोर्ड स्कूल या एडेड स्कूल है, ठीक उसी गांव में बेसिक स्कूल चलाने की व्यवस्था की गई है;

(ख) क्या यह संभव है कि एक गांव में दो-दो स्कूल चल सकते हैं;

(ग) यदि सरकार हरएक स्कूल के लड़कों को बुनियादी तालीम देना चाहती है, तो उन सब बोर्ड स्कूल या एडेड स्कूल को परिवर्तन करके बेसिक स्कूल में क्यों नहीं बदल करती है;

(घ) क्या सरकार नहीं जानती है कि एक गांव में दो-दो स्कूल चलने से लड़कों की स्थिति दिनों दिन खराब होती जायगी तथा दोनों स्कूलों की अवस्था खराब होगी;

(ङ) यदि खंड (क), (ख), (ग) और (घ) के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो इसे सुधारने का कौन-सा उपाय सरकार करना चाहती है?

माननीय श्री बदरीनाथ वर्मा—(क) यह कोई साधारण बात नहीं है। यह सच है कि दो-चार ऐसे गांव हैं जहां पिछड़ी जातियों का वास है तथा गरीब होते हुए भी उन्होंने कुछ जमीन रजिस्ट्री करके सरकार को दे दी है। जनता के आग्रह से बोर्ड स्कूल अथवा aided स्कूलों के होते हुए भी Basic School खुले हैं किन्तु उन बोर्ड स्कूलों को बुनियादी स्कूल में परिवर्तन करने के लिये लिखा-पढ़ी चल रही है।

(ख) जी हां, घनी आबादी वाले गांवों में दो या दो से अधिक स्कूलों का चलना संभव है।

(ग) बोर्ड के पदाधिकारियों से लिखा-पढ़ी हो रही है। उन लोगों ने आश्वासन भी दिया है कि शीघ्रातिशीघ्र परिवर्तन करने की मंजूरी दी जायगी।

(घ) यह परिस्थिति विशेष पर निर्भर है। सरकार को कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है।

(ङ) जहां सुधार की आवश्यकता समझी जायगी वहां सरकार उचित कार्रवाई करेगी।

गोपीनाथ सिंह के गांव वाले बेसिक स्कूल तोड़ने का कारण।

*३२२। श्री टीकाराम मांझी—क्या माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि धनबाद सबडिवीजन के अन्तर्गत केन्द्रवाडिह थाना के अधीन गोपीनाथ सिंह के गांव में एक बेसिक स्कूल खोला गया था, यदि हां, तो क्या यह बात सही है कि उस स्कूल को तोड़ कर उसी सबडिवीजन के गोविन्दपुर थाना का गोविन्दपुर में ही बेसिक स्कूल खोला गया है और उसी स्कूल के शिक्षकों को उसी स्कूल में नियुक्त किया गया है;

(ख) क्या गोपीनाथ सिंह का बेसिक स्कूल चलने लायक नहीं था, यदि था, तो क्यों तोड़ दिया गया है;